संख्या-727 / 2017 / 1153 / 22-2-2017-17(432) / 2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोरे लाल पुत्र श्री भरोसा, निवासी जनपद-हमीरपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गोरे लाल पुत्र श्री भरोसा, निवासी-केवटरा, थाना-कुरारा, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। दिनांक 24-05-1883 को लगभग 10:00 बजे बन्दी बेतवा नदी के किनारे सांग लेकर पहुंचा तथा रामलाल से सब्जी व खरबूजा मांगा, रामलाल के मना करने पर बन्दी ने गाली गलौज करते हुए रामलाल के ऊपर सांग से वार किया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-149/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 324 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर के आदेश दिनांक 28.06.1986 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2017 तक 32 वर्ष 09 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 42 वर्ष 08 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी की आयु दिनांक 15-01-2017 तक 57 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने अभिमत में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। दिनांक 24-05-1883 को लगभग 10:00 बजे बन्दी बेतवा नदी के किनारे सांग लेकर पहुंचा तथा रामलाल से सब्जी व खरबूजा मांगा, रामलाल के मना करने पर बन्दी ने गालीगलौज करते हुए रामलाल के ऊपर सांग से वार किया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा किये गये विरोध तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोरेलाल पुत्र श्री भरोसा को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी गोरेलाल (बन्दी संख्या-4951/1986) पुत्र श्री भरोसा, निवासी जनपद-हमीरपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-727/2017/1153/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।